


फर्द अहकाम

खण्ड

न्यायालय का नाम - उपखण्ड अधिकारी, जोधनेर

केस नं.

202

क्र.सं.	दिनांक आदेश का कार्रवाई	आदेश विस्तृत रूप से
11/124		<p>पतावली पेश हुई। P.O. सा अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/12 को पेश होयू-</p>
13/124		<p>पतावली पेश हुई। P.O. सा अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/24 को पेश होयू-</p>
113/24		<p>पतावली पेश हुई। P.O. सा अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/3/24 को पेश होयू-</p>
22/3/24		<p>पतावली पेश हुई। अधिवक्ता उषा देवी द्वारा अर्पित किया गया कि मातृगण राजसभा अर्पित अधिवक्ता मजदूर रमा मंडीर जिनाडे 24/24 द्वारा 22/1/24 दिनांक 28/8/24 को अर्पित किया गया था। अतः एक महत्वपूर्ण आदेश सादर है कि उक्त अधिवक्ता मजदूर रमा मंडीर जिनाडे को इस में किया जाना अनिवार्य है।</p> <p>पतावली का अवलोकन किया गया। उषा देवी के अर्पित पत्र के सलोक मातृगण राजसभा अर्पित अधिवक्ता मंडीर मजदूर के विधि दिनांक 24/2/24 का अवलोकन किया गया। उक्त विधि के मातृगण में अर्पित की अर्पित अधिवक्ता सादर है। अतः उक्त अधिवक्ता मंडीर रमा मंडीर जिनाडे को अर्पित किया जाना अनिवार्य है।</p> <p>अतः उषा देवी का अर्पित पत्र सादर है कि उक्त अधिवक्ता मंडीर रमा मंडीर जिनाडे को अर्पित किया जाना अनिवार्य है।</p> <p>पतावली केवल शुभक हीकत अर्पित के अर्पित दिनांक 21/1/24 तक है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जोधनेर, जयपुर </p>